

[श्री मूलचन्द डागा]

किया जा रहा है। उनका कहना है कि वह भी 6 साल तक कालेजों में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब हम वैद्य, डाक्टर बनते हैं तो हमको तनख्वाह कम्पाउन्डर से भी कम मिलती है। इसमें उनमें आक्रोश है। आप कहते हैं कि आप आयुर्वेद का प्रचार करना चाहते हैं। . . .

MR. CHAIRMAN: Mr. Daga it is already 3.30 p.m. You may continue your speech on Monday. Now the House will take up Private Members' Business.

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-NINTH REPORT

SHRI Y. S. MAHAJAN (Jalgaon):

Sir, I beg to move the following:—

"That this House do agree with the Thirty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 24th March, 1982."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 24th March, 1982."

-----

*The motion was adopted.*

15.32 hrs.

RESOLUTION RE. DRINKING WATER FACILITIES IN RURAL AREAS

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up further discussion on the Resolution moved by Shri Viridhi Chander Jain on 12th March, 1982. Shri Ram Singh Yadav was on his legs. He has not concluded his speech. He may continue with his speech.

SHRI RAM SINGH YADAV (Alwar): Mr. Chairman, Sir, while supporting the Resolution which has been moved by Shri Viridhi Chand Jain, an hon. Member of this House, I will sub-

mit that water is one of the basic amenities of human life without which the human life as well as the living beings, the plants and the whole of universe cannot survive. Therefore, it is very necessary that prime importance should be given to the problem of drinking water which is being faced actually by the people of this country.

Sir, the problem with which the country seized is quite enormous and moreover contaminated water sometimes is also one of the causes of spreading so many types of diseases. W.H.O. has estimated that 80 per cent of diseases in the third world could be prevented by improved water and sanitation and these diseases have been identified as jaundice, cholera, guinea-worms, etc.

Sir, there are 5.76 lakh villages in the country out of which 1.90 lakh villages are the problem villages even today. They are the villages where there is the problem of drinking water. These problem villages have been categorised in the Sixth Five Year Plan and the reasons and causes of those problem villages have been enumerated and they are:

- (i) Where no assured source of drinking water exists within a reasonable distance;
- (ii) Where sources of water supply suffer from epidemic diseases, viz., cholera, guinea worms, etc.
- (iii) Where water suffers from excess salinity, iron, fluorides or other toxic elements hazardous to health;

Sir, keeping in view this the 1.90 lakh villages which have been identified as problem villages need immediate drinking water supply schemes. Now the question is this: How far and to what extent we shall be able to meet the needs of the country in this regard? Fortunately there is an inter-

national agency which is known as International Drinking Water Supply and Sanitation Decade Agency. This Agency is dealing with the problem of drinking water throughout the world. There is an assurance on behalf of that agency that by 1990 the whole universe will be having water supply, that is, at least there will be one source of supply in one village or in one locality. I would like to refer to the actual estimate. What are the number of problem villages to which we have to provide drinking water? I will enumerate some of them:

Rajasthan	24,000
Madhya Pradesh	28,081
Assam	17,655
Gujarat	6,718
Himachal	10,245
Kashmir	4,809
Orissa	11,286
U.P.	30,736
W. Bengal	27,306
Delhi (U.T.)	166
Karnataka	1,000

There are some other States also. The total comes to 1,90,000 problem villages. Now the question is this: How much amount is provided under the 6th 5 year plan for drinking water facility? Only Rs. 213 crores is there, under the 6th 5-year plan. The expectation is that by 1990 we shall be able to provide drinking water to all villages. With these meagre resources how would it be possible to provide drinking water to all these problem villages? In this connection I may refer to the Delhi Statesman which in its issue dated 15th February, 1982 says as follows:—

“One study suggests that at current prices, outlays of at least Rs. 1250 crores a year will be needed for the next 20 years to provide adequate drinking water and sanitation to the entire population. Against a need, according to another estimate of Rs. 1500 crores, during the International Drinking Water Supply and

Sanitation Decade 1981—90, no more than Rs. 4,000 crores will be available during the Sixth plan.”

So, what I wish to submit is this: This International Agency will be able to give only Rs. 4,000 crores for our country. With this amount it will not be possible to give drinking water facility to all these villages. You may calculate the total amount including the amount which comes in the next 5 years under the 6th 5 year plan, and this amount coming from the International Agency. Even if you take the total amount, you will find, this total amount is not sufficient for this purpose. The question now is this: How can we develop an agency at the national level which can monitor and advice on technical points and render necessary assistance so that pilot projects may be prepared? We are lacking in so many things in the country. There is no infra-structure available in the country in many spheres, we are lacking in technocrats. We are lacking in other machinery which is needed at the national level.

MR. CHAIRMAN: I may inform the hon. Members that there is a large number of hon. Members' names in the list who want to speak on the subject. They have expressed their desire. Therefore, Mr. Ram Singh Yadav, I would request you to conclude your speech within two to three minutes.

SHRI RAM SINGH YADAV: This is an important subject. If necessary, the time of the House may be extended for this.

MR. CHAIRMAN: That is another matter. But I may tell you that you have already taken 4 minutes on the previous day and today about 9 minutes you have already taken. You may conclude in another two or three minutes' time. There are so many names in the list and we have to accommodate them.

SHRI RAM SINGH YADAV: Now, coming to Rajasthan, as I have sub-

(Shri Ram Singh Yadav)

mitted earlier there are about 24,000 villages at present which are not having drinking water facility. The problem is so acute that in so many villages in Rajasthan, the drinking water is fetched by the people from 5 or 6 miles away from their dwelling place and sometimes even 10 miles away from their place. The villages have not got even a single source of drinking water. I am happy to say that the hon. Minister of Parliamentary Affairs and Works and Housing Shri Bhishma Narain Singh, had issued a statement in which he had mentioned that the State Governments will see to it that every problem village shall have at least one source of drinking water so that potable water may be provided to the residents of the locality or the village. He also mentioned that the financial help needed for the purpose will be made available by the Government of India. Sir, a letter to this effect has been issued in the month of February, 1982 by the Government of India.

Now, Sir, although the Government of India is taking very active interest in this and it is seized of the enormous problem which is being faced by the whole country, there are some factors which need immediate consideration by the Ministry concerned. Here I would like to make some suggestions. First, at the national level there should be a Corporation which should be named as "National Drinking Water Supply and Sanitation Corporation" and the functions of that Corporation should be that it should see to it that the drinking water supply is made available to all the villages of the country and special projects are prepared for those areas which are desert areas, which are hilly areas, etc. The special projects should be prepared and monitored and they should be rather drafted by the Government of India at the national level because the States would not be in a position to cope up with the tremendous problem during all this period of 34 or 35 years.

My second suggestion is that the necessary fund should be sought from

the International Financial Institutions or the Agencies because the requirement of fund is so large that it cannot be met at the national level. Therefore, we should seek the help of the World Bank or the I.M.F. or other International Agencies like the UNDP or whatever may be so that these special projects for providing drinking water to the villages, may be financed at the International Agency level. The most important point is that even today, we do not have any sort of machinery at the national level so that it can guide, it can advise, it can prepare and it can monitor those projects which are necessary for the provision of drinking water. Therefore, Sir, it is very necessary to create a cell of the technocrats having specialisation in that technology. That cell as a matter of fact should give guidance, advice to all States of the Union of India.

My last suggestion is that in those States where this problem is acute and the financial position of the State is tight, as for example, it is in the case of the State of Rajasthan, which has drawn an overdraft of rupees three hundred and forty crores, in such States the money spent on the drinking supply schemes should be adjusted against the Central assistance amount and the overdraft amount should be written off so far as the water supply scheme is concerned.

With these suggestions I submit to the Hon. Minister to consider all these suggestions and see that the drinking water supply facility is provided in all the villages. At last one source of water supply should be provided in each village, specially in the desert and the hill areas.

श्री बालत राम सारन (चुरु) : सभापति जी, सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 35 वर्षों की आजादी के उपरान्त भी लगभग 19,803 गांवों में पीने का पानी नहीं है....

एक माननीय सदस्य : 24 हजार गांवों में ।

श्री बालत राम सारण : 24 हजार में से कुछ में व्यवस्था हो गई है, लेकिन 19,803 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पानी के स्रोत भी नहीं हैं, कहीं पानी है तो खारा है, जहरीला है या बहुत गहरा है। सभापति जी, यदि आपने वह इलाका देखा होता तो आप इसकी गंभीरता को महसूस करते। आज भी लोगों को 10-15 मील से ऊंटों पर लाद कर पानी लाना पड़ता है और उस पानी को लाने में उन्हें अपनी सारी शक्ति और समय बरबाद करना पड़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये उन के पास समय नहीं है, जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के साधन नहीं हैं। इस तरह की विषम परिस्थिति में आज राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग में लोग जीवन जी रहे हैं। जहां पानी उपलब्ध है वह भी 300 फुट की गहराई पर है जिसके निकालने के साधन नहीं हैं। आज राजस्थान में पानी की तीन तरह की स्थिति है—एक वे स्थान हैं जहां पानी का कोई स्रोत नहीं है, दूसरे वे स्थान हैं जहां पानी बहुत गहरा है, तीसरे वे स्थान हैं जहां पानी तो है लेकिन पीने के योग्य नहीं है, जहरीला है, उसमें रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं जिस के पीने से लोग कूबड़े हो जाते हैं, उनके दांत गिर जाते हैं, अंग टूट-मूड़े हो जाते हैं। भू-भूत जिले के पचास गांव, नागौर के बहुत बड़ी संख्या में गांव और चुरू के बहुत बड़ी संख्या में गांव इस प्रकार के जहरीले पानी के गांव हैं। जहां पशु पानी पीते ही मर जाते हैं। आदमी बीमार हो जाते हैं, उन्हें उस पानी के पीने से नाहरू रोग लग जाता है। इस तरह की स्थिति राजस्थान की है। मुझे खेद है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी इस समस्या के समाधान की कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में इस समस्या के समाधान के लिये लगभग 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और वहां की सरकार ने केवल 358 करोड़ रुपये की मांग की थी, परन्तु उसे केवल 108 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इन 108 करोड़ रुपये में पानी की समस्या का समा-

धान संभव नहीं है और केंद्रीय सरकार इस पानी की समस्या के प्रति बहुत ही उदासीन लग रही है। मैं यह कहूंगा कि अगर केंद्रीय सरकार इसको गंभीरता से लेती, तो आज तक पानी की समस्या का समाधान हो गया होता। राजस्थान में कई सिंचित योजनाओं के कार्यक्रम इस रंगि-स्तानी क्षेत्र के लिए हैं लेकिन अभी तक वे विचाराधीन ही हैं। जमुना कैनल, चुरू लिफ्ट इरीगेशन योजना, सीधमुख नहर और नोहेरे फीडर, ये सारी योजनाएं जो हैं, वे पूरी होनी चाहिए। ये सब ऐसी योजनाएं हैं, जो खारे पानी के क्षेत्र में जाती हैं। जल प्रदाय योजना में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। जब नहर आ जाएगी, तो यह सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्र में नहरी पानी पहुंचाने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में सब से बड़ी अकाल की समस्या है और हर वर्ष अकाल पड़ता रहता है। राजस्थान बनने के बाद केवल तीन, चार वर्ष ऐसे गये हैं, जिनमें स्थिति ठीक रही है वरना प्रायः अकाल रहता है। तीन साल से भयंकर अकाल की स्थिति है। अकाल के दिनों में रोज-गार की समस्या पैदा हो जाती है और पानी की समस्या तो बराबर रहती ही है। पानी की समस्या को सुलझाने के लिए और अकाल से निजात दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहरी पानी की व्यवस्था की जाए। राजस्थान नहर का पानी पूरी तरह से नहीं पहुंचाया गया है। आज 22 वर्ष नहर को बनाते हुए हो गए हैं और वह पूरा होने में नहीं आ रही है और अभी वह प्रथम चरण में ही लटक रही है। 18 हजार क्यूसेक पानी उससे मिलने वाला है और उस बहुत बड़े भूभाग में, जिनमें आज लोग पानी से प्यासे मर रहे हैं अभी आधा पानी भी लेने की क्षमता नहीं है। केवल प्रथम चरण तक ही अभी पहुंच पाये हैं और दूसरा चरण पूरा बाकी है। इसलिए राजस्थान की हर क्षेत्र में उपेक्षा हो रही है। निर्माण और विकास के कार्यक्रमों में राजस्थान देश के पिछड़े हुए



क्षेत्रों में है। मैं केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इस भयंकर समस्या के समाधान की ओर विशेष तौर से ध्यान दे। यह विशेष परिस्थिति केवल राजस्थान की है और दूसरी जगहों पर ऐसी स्थिति नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपका जो ड्रेजट डेवलपमेंट कार्यक्रम है, रीगिस्तान के विकास का कार्यक्रम है, यह केवल आंसू पछाने का कार्यक्रम है। उसमें जो प्रावधान हैं, उनसे वहाँ रीगिस्तान में स्थिर विकास करने में आप पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह के प्रावधान उसमें नहीं हैं, जिनमें रीगिस्तान की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसी तरह से वहाँ सरकार दो तरह से काम कर रही है। एक जल प्रदाय योजना बना कर, रीजनल स्कीम बना कर के पानी पहुँचाने की बात है और दूसरे वहाँ पर हँड पम्प लग रहे हैं और नए सोर्स बना कर पानी पहुँचाने की व्यवस्था भी है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हँड-पम्प की जो योजना है, वह बिल्कुल बेहूदी योजना है और उससे वहाँ लोगों को पानी नहीं मिलेगा और सरकार का सारा पैसा व्यर्थ चला जायेगा, बरबाद हो जाएगा। जहाँ पर हँडपम्प लगाए जाएंगे, वहाँ उनके खराब होने की हालत में कोई रिपेयर की व्यवस्था नहीं है। उन के खराब होने पर लोगों के प्यासे रहने की स्थिति आ जाएगी। हँडपम्प योजना बनाने वाले लोगों ने यह सोचा होगा कि किसी कम्पनी से कमीशन लेने की व्यवस्था हो सकती है वरना समस्या के समाधान की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल व्यर्थ योजना है और यह असफल योजना सिद्ध होगी। इसी तरह से जल प्रदाय योजना जो बनाई गई है, वह भी बिल्कुल असफल योजना है। उसके अन्दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 10 लीटर पानी की व्यवस्था है। रीगिस्तान में काम करने वाला किसान 10 लीटर पानी पूरे दिन में पा कर जिन्दा नहीं रह सकता और फिर उसके पशुओं के लिए भी कोई पानी की व्यवस्था उम में नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो योजना बनी है, उस योजना से सम्मिलित गाँवों को बिल्कुल

पानी नहीं पहुँच रहा है। पानी बिजली से पहुँचाया जाता है या डीजल इंजन से पहुँचाया जाता है या जैनेरेशन सेट से पहुँचाया जाता है। इस तरह से ये दोनों जो योजनाएँ हैं वे बिल्कुल असफल हैं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास वहाँ के निर्वाचित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बनेक बार इस मुद्दे को रखा लेकिन राज्य सरकार कहती है कि केन्द्रीय सरकार इसको नहीं मानती और जब केन्द्रीय सरकार से कहते हैं तो वह कहती है कि केवल मनुष्यों के लिए हम पानी दे सकते हैं, पशुओं को हमारी जिम्मेवारी नहीं है। कि वहाँ दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है। केवल पीने का पानी ही पहुँचाया जाता है। वह आदिमियों के जीवन का आधार है। लेकिन जो पशु हैं उनके जीवन का आधार भी पानी है लेकिन पशुओं के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है केवल आदिमियों के पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। वहाँ के पानी की समस्या का समाधान इस तरह से नहीं किया जा सकता है। ऐसा मेरा आग्रह है कि रीगिस्तान में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए पशुओं और आदिमियों दोनों को जोड़ना चाहिए। आप वहाँ पर दस लीटर पानी प्रतिदिन देते हैं। इसकी बजाए आपको तीस लीटर पानी प्रति दिन देना चाहिए।

आश्चर्य की बात है कि जहाँ मेहनत करने वाले लोग रहते हैं, हाथ से काम करने वाले लोग रहते हैं वहाँ आप दस लीटर प्रतिदिन पानी देते हैं। लेकिन जहाँ शरीर से श्रम करने वाले नहीं रहते हैं वहाँ बीस लीटर प्रतिदिन पानी देते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपको रीगिस्तानी क्षेत्रों में जहाँ पर कि लोग 15-15 मील से पानी लाते हैं आपको ज्यादा पानी देना चाहिए। सरकार के शोषण का तरीका भेदभावपूर्ण है। मैं इस व्यवस्था का कड़ा विरोध करता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह वहाँ के लोगों के लिए तीस लीटर प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करे और पशुओं को भी इस योजना में शामिल किया जाए। जो योज-

नाएँ बन चुकी हैं उनमें परिवर्तन किया जाए और जो चल रहा है उनमें संशोधन करने की चेष्टा की जाए। अन्यथा वहाँ की योजना में लगाया हुआ रुपया व्यर्थ साबित होगा।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि वह नलकूप की फिजूल की योजना अमल में नहीं लाए। इस से लोगों के पीने के पानी की समस्या हल नहीं होगी। इस से किसी कम्पनी वाले को तो जरूर लाभ होगा पानी पीने वालों की समस्या का समाधान नहीं होगा।

आश्चर्य की बात है कि बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। इस में पीने का पानी सब गावों में पहुँचाने की योजना है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों यह घोषणा करती हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पीने के पानी की व्यवस्था सभी गावों में कर दी जाएगी। और हर गांव में हर व्यक्ति को पीने का शुद्ध पानी दिया जाएगा। यह भी घोषणा की जाती है कि छठी योजना के अन्त तक राजस्थान नहर पूरी कर दी जाएगी लेकिन आश्चर्य है कि जिसको पूरा करने के लिए चार सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, उसको 108 करोड़ रुपये में कैसे पूरा किया जा सकेगा। यह तो बहकाने के सिवाय और कुछ नहीं है। यह तो योजनाओं का हमें खोललापन नजर आता है। इस से कथन में और करनी में अन्तर स्पष्ट हो जाता है। अगर आप बास्तव में बीस सूत्री कार्यक्रम पूरा करना चाहते हैं, लोगों को पीने का पानी देना चाहते हैं तो आपको राजस्थान नहर के लिए चार सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी। पीने के पानी के लिए राज्य सरकार ने तीन सौ कुछ करोड़ रुपये की मांग की है लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए सात सौ करोड़ रुपये से कम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं राजस्थान सरकार के अनुसार यह मान लेता हूँ कि चार सौ करोड़ में इसका काम चल जाएगा परन्तु छठी योजना के 108 करोड़ रुपयों में यह काम कैसे होगा? इसलिए इसकी राशि आपको बढ़ानी चाहिए।

यह जो मीठे पानी की गावों में योजना बनायी है यह उन गावों में अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए बनायी गई है जहाँ कि पहले से ही मीठा पानी है। जहाँ पीने का पानी नहीं है वहाँ कोई सुविधा आप नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय : मैंने आप से पहले आप बहुत उदार हैं, इसलिए आप मुझे अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बालत राम सारण: सभापति जी, आप बहुत उदार हैं, इसलिए आप मुझे ज्यादा समय देंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है।

16 hrs.

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि रीगस्तान क्षेत्र में कुएं खोदने के लिए रिस पर्याप्त मात्रा में खरीदने के लिए राजस्थान सरकार ने तीन सौ करोड़ रुपये की मांग की है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, पहले से ही 400 करोड़ का ओवर-ड्राफ्ट है। तो यह पैसा कहां से आएगा। अगर रिस नहीं होगी तो बोरिंग नहीं होगा और बोरिंग नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा। इसलिए जो 358 करोड़ रुपये की मांग है वह पैसा उनको दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से उन्होंने प्रोग्राम दिया है कि पहले वर्षों में इतनी राशि चाहिए और अंतिम तीन वर्षों में 60 करोड़, 90 करोड़ और 140 करोड़ रुपये की मांग है, लेकिन योजना अयोग और वित्त मंत्रालय उसमें कंजूसी कर रहा है।

16 hrs.

(SHRI SOMNATH CHATTERJEE IN THE CHAIR)

तो सवाल यह है कि जब पैसा ही नहीं है तो फिर यह घोषणा किस काम की। इनसे तो प्यासे लोगों को केवल बहकाने की बात हो सकती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए बार-बार यह कहा जाता है कि आप आवश्यकता के अनुसार प्रावधान करें और इस समस्या के समाधान की कटिबद्धता को प्रदर्शित करें।

[श्री दौलत राम सारन]

अभी तक केवल 6883 समस्याग्रस्त गांवों में पानी दिया गया है और जहां दिया गया है वहां भी पर्याप्त नहीं है। अभी भी 19,803 समस्याग्रस्त गांव पानी-पानी कर रहे हैं इसलिए इस समस्या की गंभीरता और गहराई को आंकना चाहिए।

राजस्थान बहुत सभ्य और संजीदा प्रदेश है। वह उखड़ता नहीं। इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि वे लोग प्यासे ही मरते रहेंगे। अब उनके धैर्य का बांध टूट चुका है और इस उपेक्षा को और बर्दाशत नहीं किया जा सकता। किसी गंभीर परिणाम से पहले इस समस्या का हल होना चाहिए।

राज्य सरकार ने जां योजनाएं रखी हैं, उसको यह सरकार स्वीकृति देगी, उनको पूरा करने की चेष्टा करेगी, इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वृद्ध-चन्द्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

राजस्थान ऐसा प्रान्त है जहां आधे क्षेत्र में रेगिस्तान है और आधा पहाड़ी क्षेत्र है और दोनों तरह के स्थान ऐसे हैं जहां पीने के पानी का भयंकर अभाव है। हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है, जिससे जो पीने के पानी के स्रोत हैं, वे भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पीने के पानी की राजस्थान में नितांत आवश्यकता है। जब तक यह समस्या हल नहीं होगी, तब तक राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकेगा।

35 साल में हम 35 हजार गांवों में से मुश्किल से 10 हजार गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर पाए हैं। आज भी 24-25 हजार गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की नितांत कमी है। ऐसे गांव भी हैं जहां पर खारा पानी है, जिसको पीने से आदमी कब्ड़ा और अंधा हो जाता है। इस तरह की स्थिति कई हजार गांवों में है।

इस तरह की हालत जिस प्रदेश के अंदर हो और वहां पीने के पानी की व्यवस्था न की जाए तो यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि छद्म पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान

राजस्थान सरकार ने पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में 308 करोड़ रुपए रखा था...। लेकिन वह 108 करोड़ रह गया है। इससे मुश्किल से चौथाई गांवों के लिए ही पानी की व्यवस्था हो सकेगी। फिर दिन-ब-दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सामग्री महंगी होती जा रही है और जितनी ज्यादा आप देरी करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रावधान करना पड़ेगा और पीने के पानी की कमी दूर नहीं हो सकेगी। चार वर्ष से वहां भयंकर अकाल है। आप ने गांवों में कुछ स्थानों पर कुएं खोदे हैं या हैंडपम्प लगाए हैं लेकिन उन में माकूल मात्रा में पानी नहीं है। गर्मी का मौसम आ रहा है। आपने इन हैंड पम्प की खुदाई 170-180 फीट तक की है। इस गर्मी में उनका पानी भी सूख जाएगा। तब उन से भी पानी नहीं मिल पाएगा। इनको कितना गहरा किया जाए यह आपके टेकनाशियज को देखना चाहिए, जो इस चीज को समझते हैं उनको देखना चाहिए। उन से पानी मिलता रह सके, इस प्रकार की व्यवस्था आपके इंजीनियरज को करनी चाहिए। वरना ये हैंड पम्प और ये कुएं भी बेकार हो जाएंगे। भारत सरकार को इसको देखना चाहिए।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइबज को आज भी कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता है। उनके लिए आप को कोई विशेष व्यवस्था करनी चाहिये, ताकि इस भयंकर अकाल और गर्मी के मौसम में उनको पानी उपलब्ध हो सके।

बड़े बड़े शहरों और कसबों जैसे जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा में पीने के पानी की कमी महसूस की जा रही है। एक दो घंटे से ज्यादा वहां पानी की सप्लाई नहीं होती है। दिल्ली में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की कमी महसूस की जा रही है। आवश्यकतानुसार वहां पानी उपलब्ध हो सके इस ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिए। राजस्थान के सभी शहरों की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। राजस्थान के अन्दर पर्वतीय क्षेत्र हैं, दक्षिणी राजस्थान में जितने शहर और कसबे हैं उन में पानी के जो स्रोत हैं वे बहुत नीचे चले गए हैं। गर्मियों के मौसम में उन से पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा जब तक कोई अन्य व्यवस्था उनके

लिए नहीं की जाएगी। इस ओर आप ध्यान दें। भीलवाड़ा में भेजा बांध से पानी मिलता है। उस में पानी अब बिल्कुल नहीं है। एक घंटा पानी मुश्किल से लोगों को वहां से सप्लाई होता है। इसके बारे में क्या व्यवस्था हो सकती है यह आप देखें। कोई नई व्यवस्था आप करें। शहरों में भी हंड पम्पस की स्थिति यह है कि दिन-ब-दिन उनके पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। टैक्निकल लोगों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी सप्लाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रह सके यह उनको देखना चाहिए। लोग प्यासे न मर जाएं यह आपको देखना चाहिए।

वैस्टर्न राजस्थान के लिए राजस्थान नहर ही सब से बड़ा स्रोत सिद्ध हो सकता है। अगर वह बन जाती है तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा दूसरे जितने भी जिले हैं और जहां पीने के पानी का भयंकर अकाल है वहां लिफ्ट करके या पाइप लाइज लगा कर पानी की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन राजस्थान केनाल का दूसरा भाग ही अब शुरू हुआ है। कब तक बाड़मेर, जैसलमेर पहुंचेगा यह कहना मुश्किल है। पहले चरण में 25 साल लगे, दूसरे चरण में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रावधान करना चाहिए। हालांकि आपने कहा है कि छठी योजना में पूरा कर देंगे। लेकिन जो प्रावधान है उससे मुझे लगता है कि काम पूरा नहीं होगा। अगर नर्मदा का पानी राजस्थान को मिलता है तो जालौर और बाड़मेर को पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन पता नहीं कितना समय लगेगा। इसी तरह से गंगा जमुना के पानी की योजना राजस्थान को मिल सकती है, और कार्यवाही चल रही है जिससे सीकर, भुनभुन, अल्वर और भरतपुर को पानी मिल सकता है। आप सिंचाई के लिए भले ही इन स्कीमों को प्राथमिकता न दें, लेकिन कम से कम पीने के पानी की सुविधा की दृष्टि से तो अवश्य प्राथमिकता दें जिससे आदमी और पशु बच सकें। आज मशीनरी के अभाव में सारी व्यवस्था ठप्प हो रही है, चाहे हंड पम्प हो या ट्यूबवैल हों। अगर इनकी मशीनरी आसानी से उपलब्ध होती रहे तो राजस्थान

को बहुत फायदा हो सकता है। राजस्थान की आर्थिक हालत बहुत खराब है 340 करोड़ का ओवरड्रॉफ्ट है। राजस्थान सरकार गांव के लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है। अगर हमें भारत सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं दिया तो राजस्थान के लाखों, करोड़ों लोगों को पीने के पानी की भयंकर तकलीफ उठानी पड़ेगी। आज उनके पास रोजगार नहीं है, लोग अपना घर छोड़ कर चले गये हैं। जहां पहले 10, 15 लाख लोगों को रोजगार देते थे, आज मुश्किल से लाख, डेढ़ लाख लोग ही रोजगार में लगे हुए हैं। वहां के लोगों को अकाल राहत के कामों में लगाया जाय और उनके लिये अनाज और जानवरों के लिये की घास की व्यवस्था की जाय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान खाली हो जायगा। इस समय जो वहां हालत है वह मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। इसलिए आप राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे कर पीने का पानी उपलब्ध करायें, उनको काम धंधा दें और जानवरों के लिए घास की व्यवस्था करायें ताकि वहां के लोग और जानवर जी सकें और राजस्थान को आगे बढ़ा सकें।

SHRI CHITTA BASU (Barasat) :  
Sir, I rise to support the Resolution, moved by our esteemed friend, Shri Virdhi Chander Jain. The Resolution stresses the need to sanction more money for projects for supply of water in rural areas.

So, far as Government is concerned, it does not lack in promising or holding out promises. In regard to the supply of water to the rural masses, the promises of the Government are equally very much bright. If you go through the history of planning in the country, right from the First Plan the necessity for the supply of safe drinking water to the rural areas has been stressed.

The First Plan is on record to say that "the provision of such adequate

(Shri Chhitta Basu)

water supply is a basic requirement and should receive the highest priority". This is how the First Five Year Plan identified the problem and they also assured the people that safe drinking water would be supplied by the Government. Now, let us see what has been the actual achievement. According to information available from the Government, even today there are more than 2 lakhs problem villages where there is no scope for supply of drinking water in the whole country.

Sir, if we look at the expenditure incurred during the last 5-year period, we would find that only Rs. 1,076 crores have been spent both by the States and the Centre towards the project of supplying drinking water to rural areas. Of course, the Government of India has come out with the promise that during the Sixth Five Year Plan they have allocated an amount of Rs. 2,700 crores for this project and by 1985 water will be supplied to all the problem villages and there shall not be any problem of drinking water throughout the country. This is the promise held out by the Government upto this day. My point is that this will remain in a hoax. The infrastructural arrangement, the managerial arrangement and the condition of the finances do not hold out the promise that even this promise, viz. that all the problem villages would be covered by the end of 1985 will be realised. Sir, the number of problem villages, as I have mentioned, was 1.93 lakhs as on 1st April 1980. During the year 1980-81 the Government statistics say that only 23,276 villages were covered, leaving 1.69 lakhs of villages, roughly 1,70,000 villages, still to be covered during the coming three years. If the target of the Government is to be reached then during the period of 3 years from now, 1,70,000 villages are to be covered. This is the magnitude of the problems. If you go through the performance of the Government for the last three years, you would find that in 1978-79, 20,920 villages were covered. In

1979-80, 22,822 villages were covered. In 1980-81, 23,317 villages were covered. On an average 22,000 villages have been covered in a year. Now, you have got the problem of covering 1,70,000 villages and so you are to cover more than 58,000 villages in a year. Therefore, it is practically impossible for this Government to attain this target which they could not do so during the last three decades. Never has there been an occasion when they have been able to cross the limit of 22,000 villages a year. Now, if they are willing to reach the target by the year 1985, about 50,000 villages ought to be covered actually. The question I want to pose to the hon. Minister is this: Is it possible for them if they want to reach the target? What additional arrangement both managerial and financial, have they made? That is the crux of the question which the hon. Minister should answer.

Again, the main constraint is the constrain of funds. The Sixth Five Year Plan allocated Rs. 2,000 crores. Of this amount, Rs. 1,400 crores are of the States. The States are to mobilise Rs. 1400 crores and the Centre will give an amount of Rs. 600 crores. Therefore, the entire emphasis, the prospect of the success of the programme rests on the mobilisation of the funds. About Rs. 280 crores a year is to be spent by the States and Rs. 120 crores by the Centre. That is the proportion. During the first year of the Sixth Five Year Plan i.e. in the year 1980-81 the Central Government released only Rs. 84 crores whereas they were to release Rs. 120 crores. Therefore, there is a gap between the amount released and the amount to be released.

Lastly, as you know the resources of the State Governments are limited and inelastic whereas the needs of the people of the States are elastic. They go on increasing. In a State like that of West Bengal there is a problem of supply of drinking water to the villages. This is not only the question



of Rajasthan alone. Might be, the problem over there is acute, the problem of hilly areas is very much acute. There is no doubt about it. There should be special consideration for desert and hilly areas. But on the other hand the question remains how much money or fund the Central Government makes available to the States. The States as I have mentioned earlier have got limited resources. Most of the States cannot provide adequate funds for the implementation of the programme. Now the Central Government, particularly the Finance Ministry and the Planning Commission have taken the view that if the State Governments adopt deficit financing and if they over-drafts of the Reserve Bank of India, to that extent the plan allocation will be reduced. As far as Rajasthan is concerned it has a heavy Reserve Bank overdraft. Naturally the Government, the Finance Ministry, the Planning Commission is inclined to take the position that unless the overdraft is reduced their plan allocation will be reduced. I am not mentioning about West Bengal. I am mentioning about Rajasthan. The plan allocation in Rajasthan will be reduced to that extent. Even when the question of supply of safe drinking water is concerned, the State plans are going to discuss that. The whole problems is the problem of liberal attitude, a pragmatic attitude of the Central Government in regard to funding or financing the State plan. Sympathetic attitude is to be adopted by the Central Government. I would, therefore, urge the Central Government, if they are interested to implement the simple project of supplying the minimum needs of life i.e. drinking water to the people, then they will have to recast their plan and they will have to revise their attitude towards the States. It is a sad commentary that even after the six plans, a vast mass of our country is being denied the right to drink safe water. It should go as a shame to the Government. It should go as a shame to the planned economy. It should go as a shame towards the efficiency

of the Government. Therefore, I would suggest that Government should take recast their entire approach, particularly in regard the minimum needs in plan outlay.

श्रीमती कृष्णा साहू (जैगसराय) : सभा-पति महोदय, यह कितना विरोधाभास है कि जिस देश में गंगा बहती है, जो नदियों का देश है नदियों के बीच में हमारे भारत वासी फूलते, फलते और बड़े होते हैं वहां कुछ ऐसे प्रान्त भी हैं जिनमें लोग अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। इस वैज्ञानिक युग में जब हम चान्द और सितारों पर जाने की होड़ लगा रहे हैं, जब आकाश और पाताल पर विजय पाने की सोच रहे हैं, बहुत हद तक विजय पा भी चुके हैं, ऐसी स्थिति में जो हमारे यहां प्राकृतिक देने हैं, जो मनुष्य की सबसे न्यूनतम आवश्यकता है—पेय जल, वह लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है। हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 80 प्रतिशत आबादी अशुद्ध जल पीने के कारण बीमारी का शिकार होती है। शुद्ध जल उन को मयस्सर नहीं होता है, बच्चे गन्दी नालियों का जल पीते हैं जिससे वे अपंग हो जाते हैं, उनको तरह-तरह की बीमारियां हो जाती हैं जैसे जाइंडिस, कालरा, डायरिया, एन्सीफलाइटिस आदि।

प्लानिंग कमीशन की प्रोग्राम इवैल्यूएशन आग्रैनिबेशन ने एक रिपोर्ट दी है जिस के अनुसार बिहार में 32 हजार गांव ऐसे हैं जो पेय जल के अभाव से ग्रसित हैं। उन की रिपोर्ट के मूताबिक समस्या सिर्फ इसी सीमा तक सिमित नहीं है, बल्कि उसकी बहर दूर से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है। 1.6 किलोमीटर की दूरी तक याकर पानी लाना पड़ता है, लेकिन किसी किसी प्रान्त में तो यह दूरी इस से भी ज्यादा है। इस युग में हमारे यहां कालरा की बीमारी होती है, एन्सीफलाइटिस और डायरिया की बीमारी होती है और इन बीमारियों से लोग हमारे यहां मरते हैं।

[श्रीमती कृष्णा साहू]

यूनाइटेड नेशनज़ ने भी एक सम्मेलन सर्वे किया था। उन का कहना है कि हमारे यहां जो समस्याग्रस्त गांव हैं, जिन प्रान्तों का मैंने अभी नाम लिया था, उन में वैज्ञानिक तरीके अपना कर सर्वे नहीं किया गया, इस वजह से जो समस्या थी, वह घटने के बजाय बढ़ती चली गई। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है मैं उसकी दो-चार पंक्तियां आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूँ :—

“As it goes to Bihar, there exists no cell or organisation for methodical and scientific identification of such problem villages. The whole issue is handled in a casual manner and Blocks, the lowest administration set up, have to tackle the problem where the distribution and sinking of hand pumps becomes a political loot. It becomes a *Mukhiya Raj*. Therefore, instead of minimising, the problem aggravates by placing their men on caste or party interests in which local officers play no small role.”

सभापति महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूँ—हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम का यह अंग है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम चलाकर हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि हमारी सरकार करोड़ों रुपया इस योजना के लिये आवंटित करती है परन्तु इसका लाभ हमारे ग्रामीण स्तर पर बसने वाली जनता को नहीं हो पाता है। जो राशि आवंटित की जाती है वह या तो लैप्स हो जाती है या सरण्डर कर दी जाती है, राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं या जहां इस राशि का उपयोग होना चाहिये, वह सही ढंग से नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इस लिये कि हमारे यहां टैकनाक्ट्स की कमी है। प्रखण्ड स्तर पर जो अवरसीयर या छोटे कर्मचारी होते हैं उनको इसका ज्ञान नहीं है। कभी-कभी तो जो नियम और कायदे कानून हैं वे भी बदलते रहते हैं, गिनीपिग की तरह से एक्सपैरिमेंट्स किये जाते हैं, कभी किसी योजना को ब्लाक स्तर पर सैन्ट्रलाइज किया जाता है कभी डीसैन्ट्रलाइज किया जाता है। परिणाम त्था होता है—जो हैण्ड

पम्पस लगाये जाते हैं यदि वे खराब हो जाते हैं तो उनके लिये जिला स्तर से म्कीनिक बुलाना पड़ता है जिसमें महीनों लग जाते हैं, क्योंकि इसके लिये पहले जिला स्तर के प्रखण्ड अधिकारी की स्वीकृति होनी चाहिये। उसके बाद वह कागज कितने दिनों तक टेबल पर ही घूमता रहता है और तब तक गर्मी का मौसम आ जाता है और आप और इस सदन के माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि कितनी कठिनाइयों से, कितनी मुसीबतों से और कितनी परेशानियों से हमारे ग्रामवासियों को झूझना पड़ता है। अब सवाल यह है कि हमारे जो कार्य-कर्म हैं, हमारी जो योजना है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए। इसके लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए। केवल यहां केन्द्रीय सरकार से डाइरेक्शनस भेज दी जाती है लेकिन उन डाइरेक्शनस से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। इसको सोचने और समझने के बाद हमें व्यावहारिक रूप से सोचना चाहिए कि पूरे देश के स्तर पर किस तरह से हमारी यह योजना लागू हो सकती है, कामयाब हो सकती है। यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और हमारे लिए यह न्यूनतम आवश्यकता है। यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है, लेकिन सिर्फ सोचने और मनन-चिन्तन से काम नहीं चलने वाला है। अब समय आ गया है कि लोगों को पीने के पानी से वंचित करना एक गुनाह है।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया और अपने सहयोगी साथी, जो यह बिल लाए हैं। उन को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बिल को लाकर सभी सदस्यों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, 1982 के अन्दर मार्च में यह बात करना ठीक मैं समझता हूँ और मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने आज तक जो रुपया खर्च किया है, जो

उन्होंने आंकड़े दिये हैं, उस हिसाब से 30 अरब 84 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। इतना रुपया खर्च होने के बाद भी हिन्दुस्तान के कई गांवों में आज भी पीने का पानी नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर एक गांव पर 1 लाख रुपया भी खर्च किया जाता, तो जो 5 लाख 76 हजार के करीब गांव हैं, उनका पानी मिल जाता। गांवों में किस प्रकार से यह धनराशि खर्च की गई है, जो आंकड़े दिये गये हैं, उन का अगर कोई गहराई से अध्ययन करे तो यह बात मालूम हो जाएगी कि सरकार आंकड़े देकर लोगों को भुगालते में डालती है और आंकड़ों के जाल में लोगों को फांस देती है। हर वक्त गलत फिगर्स दे दिये जाते हैं और लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है। इतने बड़े और जरूरी विषय पर, बुनियादी विषय पर, यहां बहस हो रही है, और हमारे मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह जी नहीं हैं, जोकि इस विभाग के मंत्री हैं। यह बुनियादी आवश्यकता है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब इस प्रकार के विषय पर बहस चलती है, तो उन्हें यहां पर हाजिर होना चाहिए। इसका क्या फल निकलेगा। इन्होंने अपनी योजना में इस बात को कह दिया है कि हम पूरी ताकत लगा कर 1985 तक सभी समस्याग्रस्त गांवों को पानी दे देंगे। यह सोचने की बात है और "योजना" एक इन का अखबार निकलता है। उसमें यह निकला है कि 1985 तक सभी समस्याग्रस्त गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कर दिया जाएगा। यह "योजना" अखबार है और यह 16 फरवरी 1981 का है। अब आप यह देखिये कि एक प्रश्न का उत्तर ये क्या देते हैं।

"Most of the village will be taken."

आप अगर यह देख लें कि मंत्री जी का क्या जवाब होता है। अब अखबारों में प्रकाशित हो जाता है कि सभी गांवों में पानी देंगे। हमारे प्रश्न का 14 सितम्बर, 1981 को उत्तर आता है—

"During the Sixth Five Year Plan, to cover the maximum number of villages."

आपको 1 लाख 90 हजार गांव बिना पानी के हैं। फिर उन्होंने क्या किया? मैं

आशा करता हूँ कि अब मंत्री जी मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। आपने जो 1972 में गांव आइडेंटिफाई किये थे वे 1 लाख 29 हजार थे। फिर 1977 में किये तो ये गांव 1 लाख 90 हजार थे। फिर श्रीमन् 1978 में ये 2 लाख 30 हजार बताते हैं। अब इन गांवों में पानी के लिए जो रुपया दिया है उसके बारे में ये कहते हैं कि हमने 1 हजार 76 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और 2 हजार करोड़ रुपया और खर्च करेंगे। यह बात आपको जांचनी पड़ेगी कि किसी गांव में तो आपका 59 रुपया खर्च आता है और अण्डमान निकोबार में आपका 6 लाख रुपया खर्च आता है। मेहरबानी कर के यह बताइये कि आज तक जो आपने रुपया दिया है वह बराबर उपयोग में आया या नहीं। यह एक सोचने वाली बात है। यह भाषण देने की बात नहीं है, यह आश्वासन देने की बात भी नहीं है। आपके सोचने और देखने का क्या तरीका है? आप कहते हैं कि हम सब गांवों में पानी देंगे। आपके जो प्रोग्राम्स हैं—

1. Drinking Water problems.
2. Rural Water Supply Programme.
3. Minimum Needs Programme.
4. Centrally-sponsored Rural Water Supply Scheme.
5. 20-Point Programme.

एक प्रोग्राम होता मालूम हो। ये आपके इतने प्रोग्राम हैं। फिर आप कहते हैं कि एक किलो मीटर में पानी देंगे और जहां 15 मीटर गहरा पानी होगा, कहां उप-करेंगे।

मैं 32 साल से राजनीति में हूँ। जब राजा थे उस समय भी एम. एल. ए. बन गया था। उस समय भी मैंने देखा था कि जिन गांवों में पानी नहीं था उन गांवों में पानी नहीं दिया। जहां पानी था, वहां पानी दिया गया। इसके लिए सेंटर भी रुपया देता है और स्टेट्स ने भी अलग रुपया रख दिया है।

दिल्ली के अन्दर, श्रीमन् 50 लीटर पानी मिलता है। आपसे प्रार्थना है कि मेहरबानी कर के हमारे यहां जरा गांव में

[श्री मूलचन्द डागा]

चल कर देखने की तकलीफ करें और जानकारी करें। आज उन गांवों में मीलों दूर तक पानी नहीं है और एक लीटर पानी तो दूर रहा वहां एक लोटा पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए आप मंहरबानी करके यह बताइए कि ये जो 30 अरब 76 करोड़ रुपया खर्च हो गया योजनाओं में, यह कहां खर्च हो गया।

MR. CHAIRMAN I am very sorry. I have to ask you to conclude.

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कई लोग बोलने वाले हैं। पश्चिम राजस्थान के बहुत लोग बैठे हैं जहां 4 साल से अकाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय, इन्होंने पानी ट्रांसपोर्ट करने में करोड़ों रुपया लगा दिया, जहां पानी मौजूद है वहां से पानी नहीं लिया गया। और क्या किया गया कि गांव के एकदो बड़े लोगों की सुविधा के लिए नल योजना बना दी। हमने कई बार कहा कि आप एक कूआं दीजिए और पनघट रखिए। लेकिन इन्होंने उस पनघट कल्चर को ही समाप्त कर दिया, जहां गांव की औरतें इकट्ठे होकर अपने सुख-दुख की बातें किया करती थीं। वह पनघट गांव की औरतों का क्लब होता है, लेकिन उस क्लब को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। इन्होंने पाइप लाइन डाल दी और सारे गांव में कोई डमेज सिस्टम नहीं है, जिससे मच्छर बढ़ते हैं। इससे पानी का अपव्यय भी होता है। हमने कहा था कि आप केवल एक कूआं लगा दीजिए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। इस तरह से पैसा खर्च कर दिया, लेकिन वहां पर मैकेनिक नहीं है। ग्राम पंचायत मैकेनिक रखने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार की हालत है राजस्थान में।

एक बात और है कि आपने जो फिगरस दिए हैं वे अलग-अलग हैं। टैली नहीं करते। सारे फिगरस गलत हैं। कौन आंकड़े बनाता है? 15 मई, 1981 के "योजना अखबार" में दिया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 970.41

करोड़ रुपया खर्च किया गया और आपने एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि हमारे यहां 193.00 करोड़ रुपया खर्च किया पांचवीं पंचवर्षीय योजना में। अब अगर मान लिया जाए कि इसमें आपने विलेज के शेयर्स का पैसा भी मिला दिया है, लेकिन इसमें भी गांवों के लिए लिखा है और प्रश्न के जवाब में भी गांवों के लिए लिखा है। इन फिगरस को कैसे टैली करें। योजना अखबार में कुछ निकलता है, सिक्स्थ फाइव इधर प्लान में कुछ और निकलता है और क्वेश्चन के जवाब में कुछ और बात आती है। इस प्रकार से तीन प्रकार की बातें सामने आती हैं। गांवों में रुपया खर्च होता नहीं और रुपये का दुरुपयोग होता है—न कोई जांच होती है।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मंत्री जी से कहें कि वे अपने जवाब में बताएं कि पाली जिले के कितने गांवों में पानी दे दिया है, उनके नाम बताएं और राजस्थान के कितने गांवों में पानी दे दिया है?

दूसरी बात यह बताइए कि कितना रुपया कहां खर्च हुआ? 30 अरब रुपये खर्च कर दिए गए, इतने तो गांव भी नहीं हैं। कुल 5 लाख 76 हजार गांव हैं, जिनमें से एक-दो लाख गांव आपने समस्या-ग्रस्त बताए हैं। उन गांवों में कितना रुपया खर्च हुआ कैसे हुआ कोई हिसाब देने वाला नहीं है। पैसों का दुरुपयोग हुआ है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय पहले जांच करें कि जो रुपया दिया है वह कैसे खर्च हुआ है, जिस काम के लिए दिया है, उस काम में खर्च हुआ है और हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है और वह कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है?

श्री रीत लाल प्रताप वर्मा (कोडरमा) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। 35 साल की आजादी के बाद भी हम पेय जल की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। रोटी

कपड़ा और मकान तीन चीजें आदमी के जीविके के लिए आवश्यक हैं, यह कहा जाता है। लेकिन पीने के पानी के बिना आदमी अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। देश में 1 लाख 90 हजार समस्या मूलक गांव हैं। यह 1-4-1980 का आंकड़ा है। आपका ही यह आंकड़ा है। पेयजल की आपूर्ति वहां अत्यल्प है। शुद्ध जल मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। इस को प्राथमिकता दे कर इसकी पूर्ति होनी चाहिये।

छठी योजना में 1 लाख 90 हजार गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रावधान किया गया है। जो क्राइ-टीरिया फिक्स किया गया है उसके दायरे में यह काम सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इस राशि को आपको बढ़ाना होगा। राजस्थान में भयंकर पीने के पानी की कमी की चर्चा यहां की गई है। और प्रदेशों में भी इसकी भयंकर कमी है। पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें भी कमी है। नागालैंड, मंगालय, असम, बिहार का छोटा नागपुर प्लेटू राजस्थान के मरुस्थल के सभी भाग, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी का भयंकर अकाल है। सरकार को यद्दुध स्तर पर काम करके यहां पेय जल की व्यवस्था करनी होगी ताकि जो पानी के लिए चिल्लाहट हांती है और जो एक कलंक का विषय है, वह दूर हो सके। 35 वर्ष में इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकी है।

बिहार के छोटा नागपुर प्लेटू से मैं आता हूँ। हिन्दुस्तान का वह सब से धनी इलाका है। 42-43 अरब रुपया प्रति वर्ष सरकार को वहां से प्राप्त होता है। 60 लाख लोग वहां ऐसे हैं और 11500 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां आदिवासी और हरिजन निवास करते हैं। तीन तीन मील दूर जा कर नदी नालों का गंदा पानी उनको लाना पड़ता है। इस पानी को पीने से कालरा, जांडिस तथा अन्य प्रकार की बीमारियों से वे पीड़ित हो जाते हैं। शुद्ध जल न मिलने के कारण व्हरों में मरने वालों का प्रतिशत 9.7 है और ग्रामीण इलाकों का 14.9 है। वे सरकारी आंकड़े हैं। शुद्ध जल से

क्लोराइड, टाक्सिकएलीमेंट, आयरन यह सब मिला होता है और बहुत जगह नमकीन पानी होता है, तो अगर ऐसे जल की शुद्ध करके लोगों को पीने को नहीं दिया जाता है तो उनकी लिये आजादी का कोई मतलब नहीं है। छठी योजना में 7500 लाख रुपये का प्रावधान है जब कि वहां के अधिकाधिक सूत्रों के अनुसार 133 करोड़ रु. चाहिये जिसका डाउट प्रान क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती है। पूरे बिहार के लिये 446 लाख रु. की व्यवस्था है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो एंस्टीमेंट बनाता है उससे 1,555 गांवों में ही पीने के पानी की व्यवस्था कर सकेंगे। फिर रिगस वगैरह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, अन्य कंस्ट्रक्शन का आवश्यक सामान नहीं मिलता जिसकी वजह से काम्ब में रुकावट पड़ती है। गिरिडीह, हजारी बाग, रांची सिंहभूमि और पालामऊ में ऐसे गांव हैं जहां लोग 4,5 मील से नदी, नाले का गंदा पानी पीने के लिये लाते हैं। वहां पर लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जो बातें बतायी जाती हैं वह केवल कागज पर ही रहती हैं। वास्तविकता में कोई चीज नहीं है। वहां के अधिकारी सब पैसा खा जाते हैं। यही कारण है कि जो योजना बनती है उसकी कोई जांच नहीं करता और अधिकारियों के कागजों तक ही सारा कार्यक्रम रहता है। इस तरह समस्या कभी हल नहीं हो सकती।

यूनाइटेड नेशन्स की एक रिपोर्ट आयी थी, वह लोग चाहते हैं कि 1990 तक विश्व की 2 मिलियन जनता जो तीसरी दुनिया में रहती है डा. मार्टिन ने ऐसी सूचना दी है कि यू. नौ. सफ. के माध्यम से यह काम करना चाहते हैं और इस एजेंसी के आधार से काम हो रहा है। हमें ऐसी संस्थाओं से लाभ उठाना चाहिए और सरकार को ईमानदारी से इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए ताकि ग्रामीण जनता को, चासकर हरिजन, आदिवासियों को लाभ मिल सके। अगर उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था हम नहीं कर सकते तो यह हमारे लिये कलंक है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे कर राशि का आवंटन करना चाहिये। यही मुझे कहना है।



**श्री रामेश्वर नोबरा ((होशंगाबाद) :** सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य की वृद्धि चन्द्र जैन, को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

जो लोग पहाड़ों, रोगिस्तान और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास सरकार और अधिकारियों को समझाने वाली भाषा नहीं होती, लिपि नहीं होती, जो दूर-दराज शहरों में जा कर अपनी मांग को नहीं उठा सकते, ऐसे लोगों को ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर के निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम किया गया है। आजादी के 34 वर्ष बाद यदि आज हम पीने के पानी की समस्या पर विचार कर रहे हैं, तो वास्तव में यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, कलंक की बात है। आज भी मध्य प्रदेश में हजारों गांवों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। वहां पर ऐसे सैकड़ों गांव हैं, जहां लोग अपनी लड़कियां नहीं देते हैं, जहां के लड़के कुंवारे रह जाते हैं, क्योंकि दूतरे लोग सोचते हैं कि जिस गांव में पानी नहीं है, वहां लड़की देने का मतलब ही नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

पानी की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा गांवों में ट्यूबवैल और नल लगाए जाते हैं। लेकिन जो नल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की मार्फत लगाए जाते हैं, वे महीने दो महीने काम करने के बाद बन्द हो जाते हैं। सरकार अथवा पी.एच.डी. के पास अभी तक ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, जो उन नलों को सुधार सके। इसके कई कारण होते हैं। जितनी गहरी बोरिंग की जानी चाहिए, उतनी नहीं की जाती है। कीसिंग पाइप नहीं डाला जाता है। विभाग कहता है कि यहां पर पत्थर आ गया है, पत्थर-तोड़क मशाने हमारे पास नहीं हैं। जब तक रिग्ज और बोरिंग की मशीन नहीं होगी, तब तक सरकार के वादे को कैसे पूरा किया जा सकता है ?

हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम में इस समस्या को सर्वोच्च महत्व दिया है और देश को विश्वास दिलाया है कि छठी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरे देश के पानी की समस्या से ग्रस्त गांवों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया है, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह एक नेशनल ड्रिंकिंग वाटर बोर्ड की स्थापना करे, जो इस सारे विषय की देखभाल करे, जो देखे कि किन किन स्थानों पर पानी प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाना आवश्यक है।

शहर में अगर एक घंटे के लिए बिजली गूल होती है या पानी बन्द होता है, तो त्राहि-त्राहि मच जाती है, हो-हल्ला मच जाता है। इस सदन में चर्चा होती है कि नार्थ एवेन्यु या साउथ एवेन्यु में पानी नहीं आया, दिल्ली की फलां बस्ती में पानी नहीं आया। लेकिन आप उन लोगों की अवस्था के बारे में सोचिए, जिन्हें दस पंद्रह मील दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है, जिनके लिए पानी ढोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। उनकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

मैं पुनः नेशनल ड्रिंकिंग वाटर बोर्ड की स्थापना की सिफारिश करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रस्ताव की मूल भावना को देखते हुए मैं अपनी ओर से श्री जैन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही उचित समय पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा और उसके माध्यम से सारे सदन का ध्यान और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है।

17 hrs.

जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी बताया है, आज हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में, जहां हिन्दूस्तान की अधिकांश आबादी निवास करती है, पानी की कमी के कारण जिस

प्रकार के हालात पैदा हो गए हैं, वे सिर्फ उन गांवों में जा कर ही देखे जा सकते हैं। आज इतना लम्बा अर्सा गुजर जाने के बाद भी हमें बार-बार यह मांग करनी पड़ रही है कि हमारे ग्रामीण भाइयों को पीने का पानी मिलना चाहिए। आज भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की कमी है या फिर पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं है। अभी डागा जी ने जो बताया है उनको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो सर्वे हुआ था 1972 में उसमें बताया गया था कि पूरे देश में करीब 1,52,352 गांव पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त हैं लेकिन जो छठी पंचवर्षीय योजना बनी और 1-4-1980 के आंकड़े एक प्रश्न के द्वारा इस सदन में बताए गए उसके अनुसार 1,90 हजार गांव पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। यह बात हमारी समझ में नहीं आई है। इतने वर्षों के बाद तो समस्या-ग्रस्त गांवों की संख्या कम होनी चाहिए थी लेकिन जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें समस्या-ग्रस्त गांवों की संख्या और बढ़ाकर बताई गई है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस ओर गौर किया जाए और पता लगाया जाए कि इस प्रकार के आंकड़े क्यों सदन में पेश किए गए हैं।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहूंगा कि सदन में अलग-अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जो क्लॉसिफिकेशन किया है उसके अनुसार 26,036 गांव आज भी समस्या-ग्रस्त बने हुए हैं जब कि छठी पंचवर्षीय योजना में केवल 19,800 समस्या-ग्रस्त गांवों को ही शामिल किया गया है। पहले भी इस प्रकार का भ्रम पैदा हो चुका है और इस गलत कैलकुलेशन के आधार पर राजस्थान के केवल चार हजार गांवों को ही एक लम्बे असें तक समस्या-ग्रस्त घोषित किया गया और एसी के अनुसार ..

MR. CHAIRMAN : We are now at the end of the time allotted. Is it the pleasure of the House that time should be extended ?

SHRI HARISH RAWAT (Almora) : Yes, Sir. Time should be extended.

HON. MEMBERS: Time should be extended.

MR. CHAIRMAN : All right. Time is extended till 5-45 for the time being.

SHRI CHITTA BASU : There is another important resolution which should also be taken up.

श्री अशोक गहलोत: मैं यह बता रहा था कि पहले जो आंकड़े राजस्थान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने बताए थे उसके हिसाब से केवल 4 हजार गांव ही समस्या-ग्रस्त थे। मुझे यह भी सूचना मिली है कि चार हजार गांवों के आधार पर ही केन्द्र सरकार से 17 साल तक मदद मिलती रही। अभी एक रंड सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान में 24,366 समस्या-ग्रस्त गांव हैं। इस प्रकार के गलत आंकड़ों के कारण राजस्थान सरकार को त्रुटि पहुँची है। मैं समझता हूँ इन गलत आंकड़ों के कारण ही विभिन्न प्रदेशों में पीने के पानी की समस्या अभी तक बनी हुई है और वह खत्म नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में जो सेंट्रल वाटर बोर्ड बनाए की बात कही गई है उसका मैं भी समर्थन करता हूँ। यह बहुत आवश्यक है कि एक बार सारे देश में पूरा सर्वे हो जाए और योजनाबद्ध तरीके से इस समस्या को मिटाने का प्रयास किया जाए।

मेरा यह भी निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो समस्या-ग्रस्त गांव घोषित करने का माप-दण्ड है वह भी दोषपूर्ण है। जैन साहब का जो प्रस्ताव है उसमें विशेषकर रॉगस्तानी और पहाड़ी इलाकों की तरफ ध्यान दिलाया गया है। मैं समझता हूँ ऐसा क्राइटीरिया होना चाहिए जिससे वास्तविक रूप में, जो गांव इस समस्या से पीड़ित हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जा सके और वहां पर इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार कार्यवाही कर सके। राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है—जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर और बीकानेर के जिले—वहां दस-दस पंद्रह-पंद्रह किलोमीटर से पानी लाने के लिए हर रोज सुबह परिवार का एक सदस्य जाएगा और 24 घंटे के बाद पानी लेकर लौटेगा।

[श्री अशोक गहलोत]

इस प्रकार से लोग अपना गुजारा चला रहे हैं ।

सरकार की तरफ से जो स्कीमें बनती हैं, पानी पहुंचाने की, रीजनल पाइप-लाइन की स्कीम या कोई दूसरी स्कीम, वह पूरी तरह से सफल नहीं हो रही है । यही कारण है कि जो आंकड़े हैं उनमें बराबर वृद्धि होती जा रही है । ऐसे गांवों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है । इस का एक कारण यह भी है कि जो रीजनल-पाइप-लाइन स्कीम बनती है, गांवों के अन्दर बिजली की कमी होने के कारण वे मशीनें नहीं चल रही हैं जिस की वजह से दूर-दूर के गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है और हमारी पीने के पानी की योजना असफल होती जाती है । ऐसा भी होता है कि बीच में जो ग्रामीण लोग भेड़े चराते हैं वे कई मर्तबा पाइप-लाइन का तोड़ देते हैं जिससे दूरदराज के गांव पानी के लिए तरसते रह जाते हैं ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्कीमें इस सम्बन्ध में बनाई जाती हैं वे गांव में रहने वाले मनुष्यों की संख्या के आधार पर बनाई जाती हैं, जब कि गांवों में पशुधन का भी बहुत महत्व है । उन का सारा रोजगार पशुधन पर निर्भर करता है, जब पशुधन का पानी नहीं मिलेगा तो वे जिन्दा नहीं रह सकेंगे, जिस से उन की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है । इस लिए मेरा सुझाव है कि जो भी योजना बनाई जाए उस में गांव की जन-संख्या के साथ पशुओं की संख्या को भी लेकर बनाई जाए, जिस से गांव वालों को पूरा पानी मिल सके ।

अभी हमारे एक भाई ने सवाल उठाया था कि राजस्थान सरकार ने 350 करोड़ रुपये की मांग की थी, छठी पंच वषीय योजना में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन उन को 108 करोड़ रुपये मिला । मैं मांग करता हूँ कि इस राशि को बढ़ाया जाए जिस से राजस्थान जैसे रंगिस्तानी इलाके की पानी की सप्लाई पूरी हो सके ।

मेरा यह भी सुझाव है कि जो गांव दूर-दराज में बसे हुए हैं उनमें यदि हम अंग्रेजी सिस्टम के आधार पर स्कीम बना कर समस्या का समाधान करना चाहेंगे तो वह नहीं हो सकेगा । हमें ऐसे क्षेत्रों में पुरानी पद्धति को भी अपनाना चाहिए । जैसे पुराने लोग तालाब, बावड़ी कूप आदि बना कर अपना काम चलाते थे, मेरी ऐसी मानना है कि जो नई योजनाएँ बन रही हैं उनमें जो हमारी पुरानी पद्धति थी, ट्रेडीशनल सोल्यूज थें, उनको भी डेवलप करने की जरूरत है । आप कहते हैं कि हम 6ठी पंच वषीय योजना में सारे देश के अन्दर से इस समस्या को मिटा देंगे, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आने वाले कई वर्षों में यह समस्या पूरी तरह से मिटने वाली नहीं है । खास तौर से जो दूरदराज के गांव हैं उन में हमें वही ट्रेडीशनल सोल्यूज को, तालाब, बावड़ी कूप आदि बनाने चाहिये जिनमें बरसात के पानी को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाये तथा इस काम में सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, बिना सरकार के सहयोग के यह काम नहीं हो सकता है ।

पीने के पानी के सम्बन्ध में आज न केवल हमारे गांव बल्कि शहरों के पीने की पानी की स्थिति भी खराब होने लगी है । मैं जोधपुर जिले के गांवों के अलावा आपके सामने जोधपुर शहर की बात करूंगा, जिस की आबादी 6 लाख है । वहां आज यह हालत है कि लोग पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं । जवाई डैम जो पाली में स्थित है, वहां से पानी जोधपुर आता था, लेकिन कदरत की कृपा से इस साल बहुत कम पानी आया, जिससे जोधपुर को पानी की सप्लाई बन्द कर देने पड़ी । आज जोधपुर शहर में पानी के अभाव में बहुत चिंता व्याप्त है, समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान कैसे हो पायेगा । वहां पर जो हैण्डपम्स लगाये गये थे उनमें से 90 परसेन्ट में इस प्रकार का पानी बाया है जो पीने के योग्य नहीं है । मेरा बाप से अनुरोध है कि वहां के कैचमेन्ट एरियाज का सर्वे करा कर नये बांध, तालाब, आदि का काम हाथ में लेना चाहिये जिससे आने वाले समय में बरसात के पानी का उपयोग हो सके ।

6ठी पंचवर्षीय योजना में आप ने इस समस्या के लिये 2007 करोड़ रुपये की राशि रखी है, मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि इस राशि को बढ़ाया जाय जिससे देश के विभिन्न प्रान्तों की पानी की समस्या का हल किया जा सके ।

मैं यह भी मांग करता हूँ कि जो क्राइटीरिया आप ने बना रखा है इस समस्या के हल के लिये, उस को बदला जाय, जिससे वास्तव में समस्याग्रस्त गांवों का सर्वे हो सके । इस सम्बन्ध में अनुसंधान होना चाहिये जिससे गांव में बरसात में जो पानी आता है उसका पूरा उपयोग हो सके ।

इन शब्दों के साथ में श्री जैन साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

17.11 hrs.

[SHRI CHINTAMANI FANIGRAHI in the chair]

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) . Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I would thank sincerely Shri Virdhi Chander, Jain for introducing this very important resolution and providing an opportunity to us to discuss a question which, to my view, is supremely important.

I understand that in Rajasthan mainly the problem is of water. I have my own experience. I was in Jaisalmer, I was in Jodhpur and I saw with my own eyes how in the distant villages the people go out to fetch water. It is difficult to believe that a family has to employ one male or female only to fetch drinking water. There is not only the problem of drinking water, but also of the water for irrigation.

But here I must confine myself to the problem of drinking water. So, I support the contention of the Hon. Member. I also feel that he has rightly pointed out to the crux of the problem that there should be more central assistance to the States.

Sir, you know that under the present set up, because of the division of financial powers, the State Governments have very little resources. Our Constitution is a peculiar one in the sense that most of the welfare ac-

tivities rest with the State Governments—education, health, sanitation, provision of drinking water and all that. But the most elastic sources of revenue are with the Central Government. The Central Government is taking away the financial powers of the States more and more. Sometimes we talk of West Bengal, but this is not the question of one State only. All the States are suffering from lack of resources. And they ought to implement their programmes because you know that the State Governments are committed to the people of their respective States for the implementation of the programmes. Therefore, they have got to come to the Centre almost as a beggar. And it all depends upon the Central Government whether it will extend its financial assistance to the States or not. Mr. Chairman, Sir, you will be astonished to know that some of the rights of the States to raise their funds have already been curtailed. You know that the major source of State finance is sales-tax. Now, moves are afoot even to curtail that power of the States so that the State Governments remain in perpetual dependence on the Centre. In this connection I would like to point out one statement of Shri Ambedkar, one of the makers of our Constitution. He said that the States and the Centre are partners. The States are not dependent either financially or in executive sphere or in legislative sphere on the Centre. But gradually we find that these powers of the States are being taken away by Centre, by methods which are not always democratic. That is the main problem.

And when we discuss the question of safe drinking water, I relate one experience of mine. Not very far from Delhi, we have quarries near Faridabad. 50,000 people work in the quarries, as stone crushers. They come from Rajasthan, Orissa, Madhya Pradesh—Adivasis and Scheduled Castes. And it is only 15 Kms. from Delhi. There you will find that they are not provided with either tap water or tube well water; the rain water which is stored there, is shared by the cattle and human beings, together. It is



[Shri Satyasadhan Chakraborty] 15 miles from Delhi. Anyone can go and see the quarries. Sometimes we talk of our progress. We are one of the 5 or 10 leading industrial countries of the world. But in this country, you will find that from the same stream, cattle and human beings drink water.

In India, most of the diseases are water-borne. And our children generally suffer because of this unsafe water. One of the civilized conditions of existence is safe drinking water. Unfortunately, we find to-day that most of the villages have no source of safe drinking water, either modern or conventional.

We talk of plans, we talk of so many big things; but what affects our ordinary people, we cannot provide them. I urge upon the hon. Minister to seriously think about this matter. I remember that during the Janata regime—you know we have many differences with them, but we are one in defending democracy—they did two very good things, one of which was the Food for Work Programme. This was the only programme after Independence where the most exploited sections of the people were getting something directly from the State. That has been scrapped. During the Janata regime, they also emphasized this drinking water problem. They made it a programme to ensure that every village should have this drinking water. They made it one of their major points. I want that this Government should also make this one of their major points.

We are talking about so many big things, but people want food, education, primary sanitary conditions and conditions of health. But unfortunately most of our people are unable to get them, in spite of so much of our development. In the cities, we see multi-storeyed buildings and 5-Star hotels. Asiad is also there. But when we go to the village, if any one asks us: "What has Government done for me?" we have no answer. In my village, I have no school. For fuel,

I am still to depend on firewood which I bring from the forests; and for drinking water, I absolutely depend on what Nature has provided; and when Nature has not provided, I absolutely depend on luck. So, this is the conflict which we find in India. It has been mentioned in this Resolution that particularly people in the hilly areas and desert areas are the worst sufferers. Sir, I know the State you come from, and I have also travelled in some parts of your State where Adivasis live. I saw there that there is no provision for safe drinking water. They are almost living in the forest in the primitive conditions. The human civilization has marched forward. We are talking of development of science and technology and going to space, but here, in India, we have millions of our brothers and sisters who live in the forests. Completely they are denied even the minimum requirements that are necessary for civilized existence. You are talking of doing big things. You go and talk of big things, but do some thing, not very big programmes, but this simple thing for our common people, the people who are paying taxes. The Government is getting money and the money is coming from the people when they purchase things. When a man purchases bidi or a match box or cloth, he pays the Government some money. In return, what are you giving him?

All the investment, all your emphasis is on urban areas, on urban development. The villages, the rural areas are the worst exploited areas. They do not want cars; they do not want all luxurious items. They want food, education and health. So, I would request the Government to give a serious thought to it. This is a very acute problem. If you go through the records, you will find that most of the diseases in most of the villages which the people suffer from are water-borne diseases. In the absence of safe drinking water, two things are eating into our vitals. One is the mal-nutrition and another is not getting safe drinking water.



So, while wholeheartedly supporting this resolution, requesting the House to adopt this resolution unanimously, I would request the Central Government, particularly the hon. Minister to give a serious thought to it and see that the Central Government makes available more assistance to the States.

There are multiple agencies for doing the work; they should have one apex body so that all the work can be coordinated. Let there be no multiple agencies; some apex body should be there so that the work can be coordinated. Whatever you spend on this, you should spend in a well-planned manner. I think the LIC, the commercial banks and other financial institutions, Unit Trust can also make fund available for this important task, that is making safe drinking water available to all the villages, particularly to the desert areas and hill areas

**श्री बासा साहिब दिखे पाटिल (कोपरगांव):**  
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैन साहब यह जो प्रस्ताव लाए हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ।

एक कहावत है—

water water everywhere;

not a drop to drink.

आज पूरे देश में पीने के पानी का जिक्र हो रहा है। दिनांक 31.3.80 को एक अतिरिक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि 230700 के लगभग गांवों को आई-डिपेंटीफाई किया गया है, जिनको अब तक पीने का पानी नहीं मिला है। यह इंटरनेशनल वाटर सप्लाई का कमिटमेंट है डिफेंड है और गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि—

“It has now been decided that the Government of India, with the co-operation of the various State Governments, would endeavour with achieve the following :

- (i) 100 per cent coverage with water supply in the urban areas;
- (ii) 100 per cent coverage with water supply in the rural areas;

(iii) 80 per cent of the urban population to be covered with either sewerage system or sanitary toilets connected to safe disposal systems; and

(iv) 25 per cent or more of the population to be covered with sanitary toilets in the rural areas.”

That means the rural areas, where the problem is more acute and bad, have been given the lowest priority.

नया बीस सूत्री कार्यक्रम चला है। 2007 करोड़ का प्रावधान छोटी योजना में इस समस्या को हल करने के लिए किया गया है। 2 लाख 31 हजार संख्या उन गांवों की है जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तीन साल जो बाकी है इस योजना के उन में आप इन गांवों में पानी का प्रबन्ध कर सकेंगे यह सम्भव प्रतीत नहीं होता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन चार साल पहले दोरिंग किया गया है। वहां पीने का पानी नहीं है। दस साल से वहां सूखा है। वहां टैंकर से पानी सप्लाई होता है। लोगों को पांच-पांच मील दूर से पानी लाना पड़ता है। जहां तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सवाल है 230 करोड़ का उसने प्रावधान किया है। वह पिछले तीन साल से जो पांच करोड़ उसको केन्द्र की तरफ देकाया है उसकी मांग करती आ रही है लेकिन आपने नहीं दिया है। केन्द्रीय सरकार अगर पैसा न दे तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है। इस वास्ते इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

हिन्दुस्तान में पिछले तीन साल में साठ सत्तर हजार गांव कवर किए गए हैं। अभी महाराष्ट्र में सत्तर हजार ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं है। कल अखबारों में आया है कि मराठवाडा तथा महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी पीने का पानी नहीं है। वहां पानी खराब है, सैलिनिटी उस में ज्यादा है और इस कारण से पानी होते हुए भी वहां लोग पानी पी नहीं सकते हैं। जहां ड्राउट होता है वहां पानी वैसा ही नहीं मिलता है। ग्राम पंचायतों के लिए आपने कहा है कि इस समस्या के समाधान में वे अपना हाथ

[श्री बाला साहिब विखे पाटिल]

बटाएं और दस परसेंट पापुलर कंट्रीब्यूशन करवाएं। अब आप देखें कि ग्राम पंचायतों के पास बत्ती जलाने के लिए पैसा नहीं, ग्राम सेवक की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं तो दस परसेंट वे कहां से जुटा सकती हैं। पहाड़ी इलाकों की तो और भी मुश्किल बात है। मैं चाहता हूँ कि आप नार्म बना दें और पीपल्स कंट्रीब्यूशन की जो बात है उसको कम करें। जहां पर डाउट है वहां पर तो पीपल्स कंट्रीब्यूशन की बात को बिल्कुल हटा देना चाहिये।

पहली योजना में आपने इस काम के लिए तीन करोड़ रखा था। अब 2007 करोड़ किया है। गांवों की इतनी अधिक संख्या को देखते हुए इस प्रावधान से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र ने 230 करोड़ का जो प्रावधान किया है उससे 17 हजार गांवों की समस्या हल नहीं हो सकेगी। आज भी महाराष्ट्र में हजारों गांव हैं जहां तीन साल से बराबर पानी टैंकों से सप्लाई किया जा रहा है। वह शुद्ध नहीं होता है। सफ वाटर जिस को कहते हैं नहीं होता है। इस कारण से मलेरिया, कौलरा वगैरह बीमारियां महाराष्ट्र में ज्यादा फैल रही हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं चाहता हूँ कि इससे निपटने के लिए हर राज्य में स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना होनी चाहिये। डिफिकल्ट जो विल्लेजिज हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये।

इस चर्चा को यहां उठा कर माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Minister will intervene.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY): Sir, I am very much thankful to the mover of the resolution for the reason that one of the most important problems of the people has been brought to the notice of the House. I am also grateful to the hon. Members who have participated in the debate and expressed their concern regarding the problem of drinking water and more particularly in rural areas.

At the outset, I want to assure the House that the Government also shares their concern. But I would place before the House the magnitude and the dimension of the problem and how the Government have approached it, to solve it, during the course of successive Plan periods.

In the year 1972 it was identified that there were 1,52,000 villages in the country which were problem villages and it was decided to make arrangements for drinking water therein. Till the end of March, 1980 we had covered 95,000 villages. But in the Sixth Five Year Plan some re-assessment was made and it was identified that 1.90 lakh villages were problem villages. By the end of the Sixth Plan, we have to cover those villages. You know that in between the hon. Prime Minister has placed the 20-Point Programme before the nation. In the 20-Point Programme it has been assessed and identified that problem villages are 2.31 lakhs. That is because, on account of drought the State Governments could identify some more villages which had been left out. So, they should be included. Taking into account all the villages identified by the States, now the total number is 2.31 lakhs.

SHRI CHITTA BASU: So, the problem is bigger now.

SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY: Definitely bigger. Therefore, for your appreciation I am placing the problem before the House. You also know that Sixth Plan allocation for drinking water supply is Rs. 2007 crores. It must be compared with Rs. 429 crores which were allocated in the Fifth Plan. Out of Rs. 2007 crores, Rs. 1407 crores are to be distributed to the State Governments after negotiation under what we call, the minimum needs programme, Rs. 600 crores are to be allocated on certain basis for accelerated water supply programme. After the 20-Point programme has been accepted by the

Government NDC and by the Conference of the Urban Development Ministers which was held in the first week of February 1982—It is being considered as a national programme—it has been decided that we have to cover 2.31 lakh villages during the Sixth Plan period. For that, the Government of India is conscious. And additional resources are also being raised.

For the information of the hon. Members, I am placing the Resolution of the Ministers' level conference of all the State Governments and Union Government. That will perhaps throw much light as to how the problem is being tackled not only by the Union Government but also by the State Governments and how a national approach has been given to it.

So far as the devolution of federal finance is concerned, I would not deal with that point. Mr. Chakraborty is always tempted about the devolution of central finance. But this is not the occasion when this should be debated.

We are all concerned with this programme. Rural water supply is a state subject and all the projects are being operated by the State Governments. So, naturally, in the course of implementation if there is anywhere any defect, that is a matter to be looked after by the State Government.

In the Ministerial level Conference, a decision was taken on how the resources, both Central and State, are to be allocated. a set of guidelines have been evolved and communicated to the Chief Ministers and all the State Governments in January last. These guidelines have also been endorsed by the Ministerial level Conference held in New Delhi. Naturally, it is a collective responsibility of both the Union and State Governments. I can assure the House that the Union Government will do whatever is possible with their resources, because the initiative itself has come from the Prime Minister, who is very much concerned about the supply of drinking water in the rural areas. That is why the

whole problem is being approached more vigorously and efforts are being made to tackle the problem.

Another problem which is very much agitating the members is the acute drinking water supply problem in Rajasthan. The hon. Member, perhaps the mover of the Resolution, referred to the Sixth Plan document, where it has been said that those villages where the provision of drinking water is costly will be attended to later on. My submission is that approach of the Sixth Plan has been changed and superseded by the 20-Point Programme. Now we have to cover all the problem villages, irrespective of whether it is costly, it is a desert or hill area, before the end of the Sixth Plan.

So far as Rajasthan is concerned, if there is no source of water available within a radius of one mile or upto a peth of 50 feet, that village will come under the category of problem and Scarcity villages. As such, they will be provided water under the State Minimum Needs Programme and the Central IRD programme. So far as hilly areas are concerned, it has been decided that climb down or climb up of 100 metres will be equal to a distance of one mile. Therefore, such villages will also come under the category of Problem and Scarcity Villages.

For the Accelerated Rural Water Supply Programme during 1980-81 we gave Rs. 559.10 lakhs. In 1981-82 for the same scheme we have given Rs. 1,435.42 lakhs. Besides, the advance Plan assistance for drought relief approved by the Central Government in 1980-81 was Rs. 935 lakhs and in 1981-82 it is Rs. 1,715.06 lakhs. Besides, we have assisted them with 36 rigs. Further, certain externally assisted bilateral projects are going on. For instance, in Rajasthan a water supply and sewerage Project, assisted by the World Bank, is under implementation. An agreement with the World Bank was signed in June 1980. The credit closing date is 31st December 1985. The project is estimated to

[Shri Brajamohan Mohanty]

cost about Rs. 138 crores, of which the World Bank credit will be S 680 million. The project is intended to provide safe drinking water supply in about 2000 villages spread over 10 districts.

Another Project is also about to be launched, the agreement for which is to be signed very shortly. In Himachal Pradesh also a number of projects have been taken up with external assistance. The whole problem is a very difficult problem and it requires the cooperation and collective effort of all. It is not only the Government of India alone or the State Governments alone that can solve the problem. So, a comprehensive approach is now being made and with your cooperation—are expecting that we would solve the problem before the end of Sixth Plan.

So far as this Resolution is concerned, my submission is that it need not be pressed here, rather I would oppose the Resolution because it is not necessary in the background of the situation that I have placed before the House.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे मैं पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हूँ। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यहाँ पर श्री राम मिह यादव, श्री दौलत राम सारण, श्री गिरधारी लाल व्यास, श्री चित्त वसु, श्रीमती कृष्णा साही, श्री मूलचन्द डागा, श्री रामेश्वर नीखरा, श्री वर्मा, श्री गहलोत, श्री चक्रवर्ती तथा अन्य साथियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं तथा सभी ने इसका समर्थन किया है। मंत्री महोदय ने माना कि छठी पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण रूप से इस समस्या को हल कर देंगे। मैंने जो डाउट एक्सप्रेस किया था उसका भी उन्होंने जवाब दिया है कि प्रधान मंत्री ने जो बीस मंत्री कार्यक्रम रखा है उसके प्रोग्राम नं. 8 को छठी पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन करके कामयाब बनाया जाएगा। लेकिन जबतक प्लान में परिवर्तन नहीं होता है, जबतक प्लान

की राशि इस मद में नहीं बढ़ती है तबतक किस प्रकार से यह चमत्कार हो जायेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इस सम्बन्ध में टोटल प्लान 2007 करोड़ का है जिसमें सेंट्रल असिस्टेन्स 600 करोड़ है। इस राशि से आप इस समस्या को हल कर सकेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। राजस्थान के लिए छठी योजना में 108 करोड़ का प्लान है। मंत्री जी ने वर्ल्ड बैंक असिस्टेन्स का जिक्र भी किया है लेकिन वह भी इतनी सफ़ीशिएन्ट नहीं है क्योंकि हमारी तरफ से 358 करोड़ की डिमांड रखी गई है। हमारे यहाँ डेजर्ट एरियाज की स्कीमें बड़ी कास्टली है, क्योंकि वहाँ पर कुबों की गहराई 80 से 200 मीटर तक है और एक विलेज से दूसरे विलेज के बीच का डिस्टेन्स दस से पन्द्रह मील का है। 50 परसेन्ट जो एरियाज है वे डेजर्ट एरियाज हैं इस लिये जो इतनी कास्टली स्कीम है राजस्थान सरकार उन के बारे में ध्यान नहीं दे रही है परिणाम यह हो रहा कि समस्याप्रद गांवों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो गांव इतने समस्याप्रद गांव हैं वहाँ टैंकों से पानी पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ 14 गैलन प्रति व्यक्ति पानी मिलता है जिस से गांव वालों का पूरा नहीं पड़ता। इस योजना पर भी सरकार को लाखों रुपये खर्च करना पड़ रहा है। मेरा यह अनुरोध है कि ऐसे समस्याप्रद गांव 2000 हैं, इन गांवों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिये तभी हम इस डेजर्ट एरिया का कुछ भला कर सकते हैं।

मंत्री महोदय ने योजना में इस समस्या के समाधान के लिए 2007 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिस में राजस्थान की स्थिति इस प्रकार की है जैसा मेरे मित्र चित्त वसु जी ने कहा था हमारे ऊपर 340 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट है और आप उस रकम को वापस लेना चाहते हैं यदि ऐसा हुआ तो स्पष्ट है हमारा प्लान रिड्यूस हो जायेगा और रिड्यूस हो जाने से राजस्थान के लिए इस योजना के अंतर्गत जो 108 करोड़ रुपया रखा गया है वह भी कम हो जाएगा, ऐसी स्थिति में राजस्थान में पीने के पानी की समस्या कैसे हल हो सकेगी ?



इस लिये इस की गम्भीरता को देखते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब तक सेंट्रल एग्जिस्टेंस के बारे में विशेष रूप से आप विचार नहीं करेंगे तब तक राजस्थान के इस डेजर्ट की समस्या हल नहीं हो सकेगी।

मैं यह भी निवेदन कर दूँ वल्ड बैंक से एग्जिस्टेंस ली जा रही है और इस के लिये जिन 10 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है उस में बाइमेर और जैसलमेर शामिल नहीं हैं। राजस्थान सरकार ने बाइमेर और जैसलमेर जिलों की अवहेलना को है। अभी वह स्कीम वल्ड बैंक को भेजी नहीं गई है तैयार की जा रही है। हमने भी राजस्थान सरकार पर इसके लिये प्रेशर डाला है कि जो मदद डोनर कन्ट्रीज डेनेमार्क और दूसरी कन्ट्रीज से ली जा रही है उसका लाभ बाइमेर और जैसलमेर को भी मिलना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों को भी उस स्कीम में शामिल करे। वह इलाका भारत के डेजर्ट का भयंकर इलाका है जिस को तरफ राजस्थान सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या केन्द्रीय सरकार इन दोनों जिलों को डोनर कन्ट्रीज से मदद दिला कर वहाँ के गांवों की समस्या को हल करेगी? मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप किस तरह से छठी पंच वर्षीय योजना में हमारे रीगिस्तानी क्षेत्र के पीने के पानी की समस्या को हल कर सकेंगे। आप ने टयूब वेलज के लिये रिज की संख्या 30 बताई है। राजस्थान जैसे क्षेत्र में 30 रिज से क्या काम हो सकता है? वहाँ अधिक रिज की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन की आवश्यकता है। आप कृपा कर वहाँ अधिक रिज भेजिये, रोटरी रिज भेजिये, दूसरी बात के रिज भेजिये ताकि इस समस्या का निदान हो सके।

इस समस्या पर मेरे मित्रों ने जो सहयोग दिया है मैं उन की बहुत प्रशंसा करता हूँ लेकिन मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह सन्तोष प्रद नहीं है। चाहिये तो यह था कि इस समस्या पर पार्लियामेन्टी अफेअर्स मिनिस्टर श्री भीष्म नारायण सिंह, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जवाब देते, एक निष्पक्ष मिनिस्टर इस महत्वपूर्ण समस्या को मैगनीचूड को गम्भीरता को ही लिया

गया है। इस लिये मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह छठी पंच वर्षीय योजना में इस समस्या को हल के लिये विशेष ध्यान दे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस न्यूनतम आवश्यकता प्राथमिक आवश्यकता है, पूर्ति वह करे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want to withdraw the Resolution on the reply given by the Minister?

SHRI VIRDHI CHANDER JAIN: I will have to withdraw, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri Virdhi Chander Jain be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.51 hrs.

RESOLUTION RE. CONTINUOUS RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES AND NEED FOR TAKING STEPS TO AMELIORATE CONDITION OF TOILING MASSES

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): I beg to move:

"This House notes with grave concern the continuous and unchecked rise in price of essential commodities and consequent deterioration in the living and working conditions of all toiling people and the measures taken against the trade union rights and liberties of workers and calls upon the Government to take effective steps to ameliorate the condition of the toiling masses."

Sir, my Resolution is quite explicit and clear we are very much concerned and the whole country is very much concerned regarding the rise in prices of essential commodities. The House had so many occasions to discuss those issues on various items which have been introduced in this House. If at all any difference is there, any controversy is there, on the question of rise in prices, the only controversy is on the tempo and the rate of increase of prices of essential commodities.

Sir, in the last so many years, we are experiencing this phenomenon in